भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2432

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में बढ़ोत्तरी

†2432. श्री बलवंत बसवंत वानखडे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 2015 से 2025 के बीच रिपोर्ट किए गए डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के मामलों की श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है और उनमें शामिल वर्ष-वार कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान ऐसी धोखाधड़ी में वसूल की गई और पीड़ितों को लौटाई गई वर्ष-वार धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में बढ़ोतरी और वरिष्ठ नागरिकों के इससे प्रभावित होने के जोखिम के बारे में कोई आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संकट से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं या किए जाने का विचार है; और

(ङ) 2019 से साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता और डिजिटल भुगतान संरक्षा अभियानों पर हुए बजट आवंटन और व्यय का वर्ष-वार और कार्यकलाप-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): देश में डिजिटल भुगतान लेनदेन में वृद्धि के साथ विगत कुछ वर्षों में डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी सहित साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं में भी वृद्धि हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा रिपोर्ट की गई डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी का ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

(ग) और (घ): आरबीआई ने अप्रैल, 2026 में "धोखाधड़ी रोकने के लिए डिजिटल भुगतान में सुरक्षा उपायों की खोज" शीर्षक से एक परिचर्चा पत्र जारी किया है, जिसमें भारत में डिजिटल भुगतान में तीव्र वृद्धि और प्राधिकृत पुश पेमेंट (एपीपी) धोखाधड़ी में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है जो बड़े पैमाने पर सोशल इंजीनियरिंग और तत्काल निधि द्वारा संचालित है। सुरक्षा उपायों का उद्देश्य निर्दिष्ट डिजिटल भुगतान लेनदेन करने वाले अरक्षित ग्राहक वर्गों की सुरक्षा करना है।

धोखाधड़ी वाले लेन-देन के कारण ग्राहकों को होने वाली हानि की भरपाई करने में मदद करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 जुलाई, 2017 के परिपत्र के माध्यम से बैंकों को अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के मामलों में ग्राहकों की देयता (जैसे शून्य देयता, सीमित देयता और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार देयता) को सीमित करने के निर्देश जारी किए। इसके अतिरिक्त , आरबीआई ने हाल ही में कम राशि के धोखाधड़ी वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन के लिए मुआवजे पर संशोधित निर्देश जारी किए हैं, जिसमें डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी के शिकार होने वाले पात्र ग्राहकों के लिए 50,000 रुपये तक की एकमुश्त प्रतिपूर्ति सुविधा शुरू की

गई है, जो उनकी निवल हानि का 85 प्रतिशत या 25,000 रुपये, जो भी कम हो, के अध्याधीन है। संशोधित व्यवस्था का उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणालियों में ग्राहक के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए ग्राहकों को त्वरित वित्तीय राहत प्रदान करना है|

(ङ): साइबर धोखाधड़ी जागरूकता पर किए गए व्यय के संबंध में कोई केन्द्रीकृत आंकड़ा एकत्रीकरण तंत्र नहीं है। साइबर अपराधों के विरुद्ध जागरूकता फैलाने और नागरिकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नांकित शामिल हैं -

(i) आरबीआई ने देश भर में डिजिटल भुगतान के सुरक्षित उपयोग और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 1489 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

(ii) इसके अतिरिक्त, बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा टेलीविजन अभियान, एसएमएस, प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे अनेक मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से मनी म्यूल के संबंध में जन जागरूकता अभियान (पीएसी) चलाए जाते हैं।

(iii) इसी तरह, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान परिषद (एनपीसीआई) भी ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए 12 भारतीय भाषाओं में टेलीविजन, रेडियो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर मीडिया अभियान "मैं मूर्ख नहीं हूं" चला रहा है।

अनुबंध

'डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी में बढ़ोत्तरी' के संबंध में दिनांक 03.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2432 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

	2015-16		**2016-17**		**2017-18**		**2018-19**		**2019-20**		**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**		**2025-26**	
धोखाधड़ी की श्रेणी	**धोखाधड़ियों की संख्या**	**निहित राशि करोड़ में**	**धोखाधड़ियों की संख्या**	**निहित राशि करोड़ में**	**धोखाधड़ियों की संख्या**	**निहित राशि करोड़ में**	**धोखाधड़ियों की संख्या**	**निहित राशि करोड़ में**	**धोखाधड़ियों की संख्या**	**निहित राशि करोड़ में**	**धोखाधड़ियों की संख्या**	**निहित राशि करोड़ में**	**धोखाधड़ियों की संख्या**	**निहित राशि करोड़ में**	**धोखाधड़ियों की संख्या**	**निहित राशि करोड़ में**	**धोखाधड़ियों की संख्या**	**निहित राशि करोड़ में**	**धोखाधड़ियों की संख्या**	**निहित राशि करोड़ में**	**धोखाधड़ियों की संख्या**	**निहित राशि करोड़ में**
डिजिटल भुगतान-क्रेडिट कार्ड	616	22.33	609	16.08	22533	69.78	26358	71.19	26580	74.69	18248	51.24	21610	86.06	36477	189.45	118106	812.89	66106	336.07	1692	20.16
डिजिटल भुगतान-डेबिट/एटीएम कार्ड	563	16.57	724	24.47	11962	84.36	20633	61.16	36978	102.13	35264	90.75	26876	88.54	11711	54.28	37106	189.06	18882	67.86	521	1.65
डिजिटल भुगतान-इंटरनेट बैंकिंग	12	1.30	39	1.74	294	7.62	5313	17.07	9828	67.19	20476	86.66	17404	77.47	27582	176.40	138027	1058.80	59337	412.52	7	0.19
डिजिटल भुगतान-यूपीआई																			141	0.64	355	1.73
डिजिटल भुगतान-वॉलेट/प्रीपेड कार्ड																			5	0.01	9	0.02
डिजिटल भुगतान-आईएमपीएस/एनईएफटी/आरटीजीएस																			12	3.37	74	5.55
डिजिटल भुगतान-एईपीएस/आधार संबंधित अन्य धोखाधड़ी																			366	0.32	3319	2.19
डिजिटल भुगतान-अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)																			6	1.09	20	4.37
कुल योग	**1191**	**40.20**	**1372**	**42.29**	**34789**	**161.76**	**52304**	**149.42**	**73386**	**244.01**	**73988**	**228.65**	**65890**	**252.07**	**75770**	**420.14**	**293239**	**2060.75**	**144855**	**821.88**	**5997**	**35.86**

नोट: 15 जुलाई, 2024 को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन पर संशोधित आरबीआई मास्टर निर्देश जारी करने के पश्चात, बैंक केवल उन भुगतान प्रणाली से संबंधित लेनदेन की रिपोर्ट कर रहे हैं जो धोखाधड़ी निगरानी रिटर्न के माध्यम से बैंक (बैंकों) सम्बन्धी धोखाधड़ी के रूप में माने गए हैं।
